

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,
कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010.

संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा- 2016

आवश्यक सूचना

संख्या :-7411

राँची, दिनांक-11.01.2021

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा गढ़वा जिला के इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों के चयन के निमित्त विज्ञापन संख्या 21/2016 प्रकाशित करते हुए दिनांक-06.02.2017 से 25.04.2017 तक योग्य अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये थे जिनमें वैध पाये गये अभ्यर्थियों की परीक्षा दिनांक-29.10.2017, 12.11.2017, 19.11.2017, 25.11.2017, 26.11.2017 तथा 02.12.2017 को ली गई। तत्पश्चात मेधा क्रमानुसार अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का प्रारम्भिक सत्यापन दिनांक-26.10.2018 से दिनांक-02.11.2018 तक, दिनांक-24.01.2019, 16.10.2020 एवं दिनांक-27.11.2020 को किया गया। प्रमाण पत्रों के सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से एक अवसर प्रदान करते हुए क्रमशः दिनांक- 16.11.2018, दिनांक-22.10.2020, दिनांक-15.02.2019 एवं दिनांक-04.12.2020 को पुनः आमंत्रित किया। उक्त जाँच में अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु जाँच की तिथि से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया।

2. उपर्युक्त पदों में पात्रता/शैक्षणिक अहर्ता/आरक्षण इत्यादि की शर्तें संक्षेप में तद्हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं विस्तृत शर्तें उक्त विज्ञापन से सम्बन्धित विवरणिका में अंकित की गई हैं। आरक्षण सम्बन्धी विस्तृत शर्तें विवरणिका की कंडिका 8 में अंकित करते हुए विवरणिका की कंडिका 12 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि "आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक की परीक्षा ली जायेगी।

- (i) ऑनलाईन आवेदन में क्षेत्रीय आरक्षण तथा अनूसूचित जिलों की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या तथा दिनांक भरना अनिवार्यतः आवश्यक होगा। दिनांक 02.06.2016 के पश्चात निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। विहित प्रपत्र परिशिष्ट- III में है।
- (ii) अनूसूचित जिलों तथा अन्य जिलों में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या तथा दिनांक भरना आवश्यक होगा।

प्रमाण पत्र अनिवार्यतः आवेदन देने की तिथि अथवा उसके पूर्व का होना चाहिए।

3. विज्ञापन की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकता है।
4. पात्रता/आरक्षण/आयु सीमा इत्यादि की शर्तें निम्नवत् निर्धारित है :-
- क) आरक्षण:- यथा विवरणिका की कंडिका- 8 में निहित**
- (I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (II) आरक्षण का लाभ एवं उम्र सीमा में छूट केवल झारखण्ड राज्य के निवासी को ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित/सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।
- (III) गैर अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरुद्ध क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत महिला आरक्षण तथा निःशक्तता आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनारक्षित वर्ग की महिला तथा निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (IV) अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन देने वाले सभी अभ्यर्थियों को संबंधित जिले का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (V) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा:-
- (i) जाति प्रमाण पत्र- जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित-प्रपत्र {अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परिशिष्ट-III पर अंकित प्रपत्र तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के लिए परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र} में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
- (ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 के लिए विहित-प्रपत्र (परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र) में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- (iii) स्थानीय निवास प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-I पर अंकित प्रपत्र) में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा एवं यह प्रमाण पत्र 02.06.2016 के पश्चात निर्गत होना चाहिए।

जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है।

प्रमाण पत्र अनिवार्यतः आवेदन देने की तिथि अथवा उसके पूर्व का होना चाहिए।

ख) शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता यथा विज्ञापन की कंडिका 4 में अंकित है जो निम्नवत् है :-

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	4
1	निम्नांकित विषयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक— इतिहास/नागरिक शास्त्र	इतिहास एवं राजनीति शास्त्र विषयों के साथ स्नातक किन्तु दोनों विषयों में से किसी एक विषय में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त हो तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए इतिहास एवं राजनीति शास्त्र विषयों के साथ स्नातक किन्तु दोनों विषयों में से किसी एक विषय में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त हो तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री।

- (i) स्नातक डिग्री राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना आवश्यक है।
- (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एड0 की डिग्री से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद—(NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान।
- (iii) वैसे आवेदक जिन्होंने ग्रेड पद्धति/क्रेडिट पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति से स्नातक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किया है वे निर्धारित प्रतिशत अंक के समतुल्य ग्रेड/क्रेडिट आदि प्राप्त रहने पर जो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत हो आवेदन देने के योग्य होंगे। समतुल्यता के संबंध में अंतिम निर्णय आयोग का होगा।
- (iv) शैक्षणिक योग्यता (स्नातक उत्तीर्ण) के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित स्नातक योग्यता नहीं धारित करते हैं तथा वांछित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।
- (v) वैसे अभ्यर्थी, जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसके अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा बी0एड0 के लिए समकक्ष डिग्री हेतु प्रशिक्षण पुरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं भी आवेदन समर्पित करने के पात्र होंगे। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल इस शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशित होने के पूर्व यथा आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक समर्पित करना आवश्यक होगा। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (vi) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक—1596, दिनांक—07.06.2019 में अंकित निर्देश के अनुसार विज्ञापन संख्या—21/2016 द्वारा CGTTCE-2016 में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री की प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। यह भी

अंकित करना है कि +2 शिक्षक कि नियुक्ति के मामले में B.Ed In Special Education डिग्री की मान्यता के संबंध में NCTE, New Delhi के पत्रांक-77806, दिनांक-25.04.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा अनुदानित सरकारी संस्थान में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु B.Ed In Special Education डिग्री मान्य नहीं है।

(vii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-235, दिनांक-10.10.2019 द्वारा झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं किया गया है। किन्तु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-9963, दिनांक-20.11.2015 द्वारा विहित जाति प्रमाण पत्र में पिता/पति अंकित रहने के कारण आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि-25.04.2017 अथवा इसके पूर्व विहित प्रपत्र में पति के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ पिता के आधार पर झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित किये जाने पर आरक्षण का लाभ मान्य किया गया है।

ग) आयु सीमा यथा विज्ञापन की विवरणिका की कंडिका 6 में अंकित:-

न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा की गणना 01 जनवरी 2016 के संदर्भ में की जायेगी :-

(क) न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष।

(ख) अधिकतम आयु सीमा :-

क्रम संख्या	वर्ग	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए
1.	अनारक्षित/सामान्य-	40 वर्ष	45 वर्ष
2.	महिला { अनारक्षित/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) }	43 वर्ष	48 वर्ष
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)	42 वर्ष	47 वर्ष
4.	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष

सभी वर्ग के (प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षक सहित) निःशक्त अभ्यर्थियों जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 अथवा इससे अधिक हो, को आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा पत्र से निर्गत होना चाहिए। निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-V) में मान्य होगा।

घ) सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए वांछित अनुभव विवरणिका की कंडिका-5 (iv) में अंकित है जो निम्नवत् है:-

5(iv) झारखण्ड राज्य के सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षक जिन्होंने न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव प्राप्त कर लिया है तथा जिन्हें अन्य आवश्यक अर्हता प्राप्त हैं, वे कर्णांकित पदों (25 प्रतिशत रिक्ति) पर आवेदन देने के पात्र होंगे।

दिनांक-04.09.2018 को प्रकाशित 'आवश्यक सूचना' के माध्यम से संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 (मुख्य) के आलोक में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच कार्यक्रम हेतु के क्रम में झारखण्ड सरकार के प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा निर्गत किये जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रकाशित किया गया है।

6. उपर्युक्त शर्तों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। तत्सम्बन्धी आपत्तियाँ, अभ्यर्थियों का अभिकथन तथा आयोग का निर्णय निम्न विवरणी में अंकित है:-

जिला- गढ़वा				
क्र०सं०	नाम/अनुक्रमांक/ विषय/जिला/कोटि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन एवं समीक्षा	निर्णय
1	2	3	4	5
1.	ALOK KUMAR TIWARI 28180267492 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर मध्य इतिहास विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-5916, दिनांक-02.11.2018 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-12.11.2018 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-30.10.2018 को कुल सचिव, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है जिसमें अंकित है कि डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय-फैजाबाद प्रथम परिनियमावली में कला संकाय के अन्तर्गत परिनियम 7.06(7) में प्रचीन इतिहास, 7.06(15) में मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास तथा 7.06(18) में इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व उल्लेख है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
2.	SATTYA BHAN GUPTA 28145251123 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-16.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर प्राचीन इतिहास विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-6906, दिनांक-13.11.2020 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-01.12.2020 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी से विहित तिथि तक प्रत्युत्तर अप्राप्त है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
3.	AMIT KUMAR PATHAK 28141249225 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Med./Mod. History विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-5927, दिनांक-02.11.2018 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-12.11.2018 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-24.10.2018 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Med./Mod. History को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
4.	VINAY KUMAR TIWARI 28136245442	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के	अभ्यर्थी से विहित तिथि तक प्रत्युत्तर अप्राप्त है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में

	इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	स्थान पर Ancient History विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग के पत्रांक-6907, दिनांक-13.11.2020 द्वारा कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-01.12.2020 तक अपना पक्ष रखने हेतु निदेश दिया गया।		अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
5.	MANTHOO LAL MAURYA 28155255650 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture & Archaeology विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-5917, दिनांक-02.11.2018 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-12.11.2018 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-30.10.2018 को निर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Ancient History विषय को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
6.	SHAIENDRA KUMAR SINGH 28170262502 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-6908, दिनांक-13.11.2020 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-01.12.2020 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी से विहित तिथि तक प्रत्युत्तर अप्राप्त है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
7.	SATYENDRA BAHADUR SINGH 27111228900 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-5914, दिनांक-02.11.2018 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-12.11.2018 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-16.10.2018 को निर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Ancient History विषय को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
8.	HARENDRA KUMAR SINGH 27117231652 इतिहास एवं नागरिक	अभ्यर्थी को दिनांक-26.10.2018 से दिनांक-02.11.2018 तक प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच हेतु अवसर दिया गया जिसकी सूचना आयोग	अनुपस्थित	दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके।

	शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	के वेबसाईट में दिनांक-04.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा ईमेल एवं SMS के माध्यम से सूचित किया गया। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक-16.11.2018 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसकी सूचना आयोग के वेबसाईट में दिनांक-12.11.2018 को प्रकाशित की गई। दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
9.	DEVBRAT SINGH 28134244290 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर प्राचीन इतिहास विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-6909, दिनांक-13.11.2020 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-01.12.2020 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी से विहित तिथि तक प्रत्युत्तर अप्राप्त है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
10.	PANKAJ 28168261907 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Med & Modern History विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-6910, दिनांक-13.11.2020 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-01.12.2020 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी से विहित तिथि तक प्रत्युत्तर अप्राप्त है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
11.	ASHOK KUMAR DWIVEDI 28123239486 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-5919, दिनांक-02.11.2018 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-12.11.2018 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर का प्रमाण पत्र संख्या-1280, दिनांक-13.10.2018 समर्पित किया गया जिसमें प्राचीन इतिहास को इतिहास के अन्तर्गत विषय प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।

12.	MAYANK TRIPATHI 28134244543 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture & Archaeology विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-6912, दिनांक-13.11.2020 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-01.12.2020 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी से विहित तिथि तक प्रत्युत्तर अप्राप्त है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
13.	RAM MURTI 21111200826 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर प्राचीन इतिहास विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-5896, दिनांक-02.11.2018 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-12.11.2018 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर का प्रमाण पत्र संख्या-1327, दिनांक-03.11.2018 समर्पित किया गया जिसमें प्राचीन इतिहास को इतिहास के अन्तर्गत विषय प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
14.	BAJARANGI LAL KESHRI 28156256076 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	अभ्यर्थी को दिनांक-26.10.2018 से दिनांक-02.11.2018 तक प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच हेतु अवसर दिया गया जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट में दिनांक-04.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा ईमेल एवं SMS के माध्यम से सूचित किया गया। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक-16.11.2018 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट में दिनांक-12.11.2018 को प्रकाशित की गई। दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।	अनुपस्थित	दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
15.	DHIRAJ KUMAR YADAV 27116231351 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग के पत्रांक-5892,	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर का प्रमाण पत्र संख्या-2303, दिनांक-29.10.2018 समर्पित किया गया जिसमें प्राचीन इतिहास को इतिहास के अन्तर्गत विषय प्रमाणित किया	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।

		दिनांक-02.11.2018 द्वारा कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-12.11.2018 तक अपना पक्ष रखने हेतु निदेश दिया गया।	गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	
16.	MOHAMMAD USMAN 28128241534 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-6913, दिनांक-13.11.2020 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-01.12.2020 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी से विहित तिथि तक प्रत्युत्तर अप्राप्त है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
17.	PRAMOD KUMAR 28184269137 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर प्राचीन इतिहास विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-6914, दिनांक-13.11.2020 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-01.12.2020 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी से विहित तिथि तक प्रत्युत्तर अप्राप्त है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
18.	RAM SUSHIL PANDEY 28153254636 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture & Archaeology विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-5905, दिनांक-02.11.2018 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-12.11.2018 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-05.11.2018 को निर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Ancient History विषय को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
19.	RISHIKESH MISHRA 28172263131 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-6915, दिनांक-13.11.2020 द्वारा अभ्यर्थी	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-20.09.2018 को निर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है जिसमें प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।

		से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-01.12.2020 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	
20.	AJAYA KUMAR SINGH 28128241387 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture & Archaeology विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-6916, दिनांक-13.11.2020 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-01.12.2020 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-26.10.2018 को निर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Ancient History विषय को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
21.	VIKAS TIWARI 28146251509 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture & Archaeology विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-5934, दिनांक-02.11.2018 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-12.11.2018 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-16.10.2018 को निर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Ancient History विषय को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
22.	VISHNU KUMAR TIWARI 28137246956 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग के पत्रांक-5902, दिनांक-02.11.2018 द्वारा कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-12.11.2018 तक अपना पक्ष रखने हेतु निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर का प्रमाण पत्र संख्या-1279, दिनांक-13.10.2018 समर्पित किया गया जिसमें प्राचीन इतिहास को इतिहास के अन्तर्गत विषय प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
23.	SANDEEP KUMAR MISHRA 28172263251 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-6917, दिनांक-13.11.2020 द्वारा अभ्यर्थी	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-29.10.2018 को निर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Ancient History विषय को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।

		से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-01.12.2020 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	
24.	NAVNEET KUMAR 28137246 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित 609	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture & Archaeology विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-6918, दिनांक-13.11.2020 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-01.12.2020 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-01.12.2020 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है जिसमें इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History अंकित है। जो विज्ञापन के कंडिका-4(4) के अनुरूप नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
25.	RAJENDRA PRATAP SINGH 28153254893 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture & Archaeology विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-5920, दिनांक-02.11.2018 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-12.11.2018 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-29.10.2018 को निर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Ancient History विषय को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
26.	FOOL CHANDRA VERMA 28138247694 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture & Archaeology विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-6919, दिनांक-13.11.2020 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-01.12.2020 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-09.10.2018 को निर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Ancient History विषय को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
27.	VINOD KUMAR 21117203000 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture & Archaeology विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-09.10.2018 को निर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Ancient History	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।

		प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-5909, दिनांक-02.11.2018 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-12.11.2018 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	विषय को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	
28.	DHANANJAY KUMAR KUSHWAHA 28160258335 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture & Archaeology विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-6920, दिनांक-13.11.2020 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-01.12.2020 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी से विहित तिथि तक प्रत्युत्तर अप्राप्त है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
29.	KAILASH YADAV 27116231437 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture & Archaeology विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-1742, दिनांक-24.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-31.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी से विहित तिथि तक प्रत्युत्तर अप्राप्त है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
30.	CHANDAN KUMAR NISHAD 28162259122 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Med. & Modern History विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-1715, दिनांक-24.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-31.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर का प्रमाण पत्र संख्या-1430, दिनांक-25.01.2019 समर्पित किया गया जिसमें मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विषय को इतिहास के अन्तर्गत विषय प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
31.	DHARMENDRA KUMAR YADAV 28144250396 इतिहास एवं नागरिक	दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर प्राचीन इतिहास विषय के	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में पत्रांक-93 दिनांक-25.10.2018 को कुल सचिव, डॉ० राममनोहर	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।

	शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-1757, दिनांक-24.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-31.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है जिसमें अंकित है कि डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय-फ़ैजाबाद प्रथम परिनियमावली में कला संकाय के अन्तर्गत परिनियम 7.06(7) में प्रचीन इतिहास, 7.06(15) में मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास तथा 7.06(18) में इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व उल्लेख है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	
32.	KAMLESH NISHAD 28169262259 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-1718, दिनांक-24.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-31.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर का प्रमाण पत्र संख्या-1431, दिनांक-25.01.2019 समर्पित किया गया जिसमें प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास के अन्तर्गत विषय प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशांसा के योग्य नहीं है।
33.	AKHILESH KUMAR SINGH 28140248557 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	अभ्यर्थी को दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच हेतु अवसर दिया गया जिसकी सूचना आयोग के वेबसाईट में दिनांक-18.01.2019 को प्रकाशित की गई तथा ईमेल एवं SMS के माध्यम से सूचित किया गया। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक-15.02.2019 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसकी सूचना आयोग के वेबसाईट में दिनांक-11.02.2019 को प्रकाशित की गई। दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।	अनुपस्थित	दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
34.	SHIVANAND SHUKLA 28174264311 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-15.02.2019 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर प्राचीन इतिहास विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-2594, दिनांक-15.02.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए	अभ्यर्थी से विहित तिथि तक प्रत्युत्तर अप्राप्त है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशांसा के योग्य नहीं है।

		दिनांक-22.02.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।		
35.	SUDHIR PRATAP MALL 28122238963 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर प्रा. इतिहास विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-1718, दिनांक-24.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-31.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर का प्रमाण पत्र संख्या-1427, दिनांक-25.01.2019 समर्पित किया गया जिसमें प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास के अन्तर्गत विषय प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
36.	JITENDRA KUMAR YADAV 28158257738 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture & Archaeology विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-1733, दिनांक-24.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-31.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-22.01.2019 को निर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Ancient History विषय को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।
37.	ARVIND KUMAR PANKAJ 28175264488 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	अभ्यर्थी को दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच हेतु अवसर दिया गया जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट में दिनांक-18.01.2019 को प्रकाशित की गई तथा ईमेल एवं SMS के माध्यम से सूचित किया गया। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक-15.02.2019 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट में दिनांक-11.02.2019 को प्रकाशित की गई। दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।	अनुपस्थित	दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
38.	RAMESH YADAV 28160258324 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा,	दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture & Archaeology विषय	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-22.01.2019 को निर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।

	अनारक्षित	के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-1730, दिनांक-24.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-31.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	है जिसमें Ancient History विषय को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	
39.	AMIT KUMAR SINGH 28166260522 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण- पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture & Archaeology विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-1751, दिनांक-24.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-31.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-23.01.2019 को निर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण- पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Ancient History विषय को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशांसा के योग्य नहीं है।
40.	MAHAVEER VERMA 28164260006 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण- पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-1741, दिनांक-24.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-31.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-28.01.2019 को निर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण- पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Ancient History विषय को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशांसा के योग्य नहीं है।
41.	PRADIP KUMAR SAINI 28114234191 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	अभ्यर्थी को दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण- पत्रों के प्रारंभिक जाँच हेतु अवसर दिया गया जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट में दिनांक-18.01.2019 को प्रकाशित की गई तथा ईमेल एवं SMS के माध्यम से सूचित किया गया। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अनुपस्थित रहे।	अनुपस्थित	दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
42.	MADHVI PRASAD KESHRI 28160258593 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक-15.02.2019 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट में दिनांक-11.02.2019 को प्रकाशित की गई। दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		

43.	<p>MANOJ KUMAR SINGH 27119232670</p> <p>इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित</p>	<p>दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर प्रा. इतिहास विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-1736, दिनांक-24.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-31.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी से विहित तिथि तक प्रत्युत्तर अप्राप्त है।</p>	<p>उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।</p>
44.	<p>JAY PRAKASH 28154255383</p> <p>इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित</p>	<p>दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture & Archaeology विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-1754, दिनांक-24.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-31.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-22.01.2019 को निर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Ancient History विषय को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।</p>	<p>उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।</p>
45.	<p>JAI PRAKASH YADAV 28137247442</p> <p>इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित</p>	<p>दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर Ancient History, Culture & Archaeology विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-1727, दिनांक-24.01.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-31.01.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा इसके प्रत्युत्तर में दिनांक-23.01.2019 को निर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है जिसमें Ancient History विषय को इतिहास के समकक्ष एवं अंतरिम भाग प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रशासी विभाग की नियमावली एवं विज्ञापन में कहीं भी समकक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है।</p>	<p>उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं है।</p>
46.	<p>VIRENDRA KUMAR 28154255279</p> <p>इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित</p>	<p>अभ्यर्थी को दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच हेतु अवसर दिया गया जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट में दिनांक-18.01.2019 को प्रकाशित की गई तथा ईमेल एवं SMS के माध्यम से सूचित किया गया। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक-15.02.2019 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान</p>	<p>अनुपस्थित</p>	<p>दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी</p>

		किया गया। जिसकी सूचना आयोग के वेबसाईट में दिनांक-11.02.2019 को प्रकाशित की गई। दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
47.	AMIT KUMAR VISHWAKARMA 28137246031 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर प्राचीन इतिहास विषय के साथ स्नातक उत्तीर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रति समर्पित की गई। आयोग द्वारा पत्रांक-3087, दिनांक-01.04.2019 द्वारा अभ्यर्थी से कारण पृच्छा करते हुए दिनांक-03.04.2019 तक अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी से विहित तिथि तक प्रत्युत्तर अप्राप्त है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अनुशांसा के योग्य नहीं है।
48.	MADHU KUMARI 28162259175 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनुसूचित जाति	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से पति के आधार पर निर्गत अनुसूचित जाति कोटि का जाति प्रमाण पत्र संख्या-829782, दिनांक-13.01.2017 समर्पित किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अनुमण्डल पदाधिकारी, रोहतास (बिहार) के स्तर से पिता के पता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या-00003, दिनांक- 02.01.2017 समर्पित किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 4 (क) में अंकित शर्तों के आलोक में वैध जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित किया जाता है।
49.	DEEPAK ROSHAN TIRKEY 28171263043 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनुसूचित जनजाति	अभ्यर्थी को दिनांक-26.10.2018 से दिनांक-02.11.2018 तक प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच हेतु अवसर दिया गया जिसकी सूचना आयोग के वेबसाईट में दिनांक-04.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा ईमेल एवं SMS के माध्यम से सूचित किया गया। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक-16.11.2018 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसकी सूचना आयोग के वेबसाईट में दिनांक-12.11.2018 को प्रकाशित की गई। दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।	अनुपस्थित	दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
50.	BIRENDRA MUNDA 27111229248 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनुसूचित जनजाति	अभ्यर्थी को दिनांक-26.10.2018 से दिनांक-02.11.2018 तक प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच हेतु अवसर दिया गया जिसकी सूचना आयोग के वेबसाईट में दिनांक-04.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा ईमेल	अनुपस्थित	दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के

		एवं SMS के माध्यम से सूचित किया गया। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक-16.11.2018 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट में दिनांक-12.11.2018 को प्रकाशित की गई। दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
51.	AKHILESH KUMAR CHOUBEY 28115234480 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	अभ्यर्थी को दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण- पत्रों के प्रारंभिक जाँच हेतु अवसर दिया गया जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट में दिनांक-18.01.2019 को प्रकाशित की गई तथा ईमेल एवं SMS के माध्यम से सूचित किया गया। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक-15.02.2019 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट में दिनांक-11.02.2019 को प्रकाशित की गई। दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।	अनुपस्थित	दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
52.	AMIT KUMAR DAS 28115234674 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनुसूचित जाति	अभ्यर्थी द्वारा इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय के स्नातक शिक्षक हेतु अनुसूचित जाति के दिव्यांग कोटि (शारीरिक निःशक्तता) अन्तर्गत आवेदन किया गया है परन्तु दिनांक-16.10.2020 को प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक निःशक्तता के स्थान पर मूक बधिर निःशक्तता का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। आयोग के पत्रांक-6685, दिनांक-16.10.2020 द्वारा अभ्यर्थी से कारणपृष्ठा करते हुए दिनांक-02.11.2020 तक अपना पक्ष रखने हेतु निदेश दिया गया।	प्रत्युत्तर में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक-21.01.2017 को निर्गत मूक बधिर निःशक्तता का प्रमाण पत्र संख्या-134 एवं दिनांक-12.09.2019 को निर्गत विकलांगता पत्र के सत्यापन संबंधी पत्र संख्या-1559 समर्पित किया गया। अभ्यर्थी का अभिकथन है कि भूलवश प्रवेश पत्र में मूक बधिर निःशक्तता के स्थान पर शारीरिक निःशक्तता आ गया है।	उपर्युक्त कंडिका 4 (ग) में अंकित शर्तों के आलोक में वैध शारीरिक निःशक्तता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित किया जाता है।
53.	INDAR SINGH 21115202049 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनुसूचित जनजाति	अभ्यर्थी को दिनांक-26.10.2018 से दिनांक-02.11.2018 तक प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच हेतु अवसर दिया गया जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट में दिनांक-04.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा ईमेल एवं SMS के माध्यम से सूचित किया गया। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक-16.11.2018 को प्रमाण पत्र	अनुपस्थित	दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी

		जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट में दिनांक-12.11.2018 को प्रकाशित की गई। दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
54.	RAJU KUMAR 28115234646 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	अभ्यर्थी को दिनांक-24.01.2019 को प्रमाण- पत्रों के प्रारंभिक जाँच हेतु अवसर दिया गया जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट में दिनांक-18.01.2019 को प्रकाशित की गई तथा ईमेल एवं SMS के माध्यम से सूचित किया गया। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक-15.02.2019 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट में दिनांक-11.02.2019 को प्रकाशित की गई। दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।	अनुपस्थित	दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
55.	AMIT KUMAR PANDEY 28112233387 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित			
56.	SNEHA AGRAWAL 28115234700 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)			
कार्यरत शिक्षक				
1.	SURENDRA GUPTA 28165260324 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा झारखण्ड सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत होने संबंधी जिला शिक्षक अधीक्षक के स्तर से निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।	किन्तु प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच की तिथि-02.11.2018 प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु की कंडिका-14 में दिनांक-25.04.2017 तक प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक के पद अनुभाव - 01 वर्ष 03 माह 26 दिन उल्लेख है। जो कि विज्ञापन की कंडिका संख्या 5(iv) के विपरीत है।	उपर्युक्त कंडिका-4(घ)(iv) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा झारखण्ड सरकार के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होने संबंधी अहर्ता के समर्थन में कार्यानुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनकी अभ्यर्थिता सीधी नियुक्ति की रिक्ति तक सीमित की जाती है।
2.	RAMPATI SAH 28134244244 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	अभ्यर्थी को दिनांक-26.10.2018 से दिनांक-02.11.2018 तक प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच हेतु अवसर दिया गया जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट में दिनांक-04.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा ईमेल एवं SMS के माध्यम से सूचित किया गया। अभ्यर्थी उक्त तिथि को अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित	अनुपस्थित	दो अवसर प्रदान किये जाने बावजूद भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके। अतः उपर्युक्त कंडिका 4 (ख) में अंकित शर्तों के अनुसार उनकी शैक्षणिक अहर्ता स्थापित नहीं हो

		अभ्यर्थियों के लिए अंतिम रूप से दिनांक-16.11.2018 को प्रमाण पत्र जाँच हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसकी सूचना आयोग के वेबसाइट में दिनांक-12.11.2018 को प्रकाशित की गई। दो अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं।		सकी। तदनुसार अनुपस्थिति के आलोक में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
3.	KUMARI SALONI 28122238707 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनारक्षित	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा झारखण्ड सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत होने संबंधी जिला शिक्षक अधीक्षक के स्तर से निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।	किन्तु प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच की तिथि-02.11.2018 को अभ्यर्थी द्वारा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी हरलखी, मधुबनी, बिहार के स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संख्या-317, दिनांक-30.10.2018 प्रस्तुत किया गया।	उपर्युक्त कंडिका-4(घ)(iv) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा झारखण्ड सरकार के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होने संबंधी अहर्ता के समर्थन में कार्यानुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनकी अभ्यर्थिता सीधी नियुक्ति की रिक्ति तक सीमित की जाती है।
4.	ANTU DAS 28163259543 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, गढ़वा, अनुसूचित जाति	दिनांक-02.11.2018 को प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर अभ्यर्थी द्वारा झारखण्ड सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत होने संबंधी जिला शिक्षक अधीक्षक के स्तर से निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग के पत्रांक-1141, दिनांक-17.01.2019 द्वारा कारण पृच्छा करते हुए 20.01.2019 तक पक्ष रखने हेतु निदेश दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा प्रत्युत्तर अप्राप्त है। किन्तु प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच की तिथि-02.11.2018 को उपस्थित होकर उक्त तिथि को आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गये विहित जांच प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा झारखण्ड सरकार के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक नहीं होने का उल्लेख किया गया है।	उपर्युक्त कंडिका-4(घ)(iv) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा झारखण्ड सरकार के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होने संबंधी अहर्ता के समर्थन में कार्यानुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनकी अभ्यर्थिता सीधी नियुक्ति की रिक्ति तक सीमित की जाती है।

ह./-
परीक्षा नियंत्रक।